उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1
संख्या-88/2026/32 ई०पी०सी०/35-1-2026
लखनऊः दिनांक: 27 अप्रैल, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में ई०पी०सी० मोड के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिये तैयार किये जाने वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट/आगणन हेतु अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-08-ई०पी०सी० मोड के अन्तर्गत परियोजना के लिये तैयार की जाने वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट/आगणन के भुगतान एवं परियोजना के डी०पी०आर० तैयार किये जाने से लेकर परियोजना के क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग हेतु गठित तकनीकी सेल" के सुसंगत इकाइयों के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 559.60 लाख (रूपए पाँच करोड़ उनसठ लाख साठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्न तालिका में उल्लिखित मदों के समक्ष अंकित धनराशि-सीमासहित, वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों को वहन करने हेतु आहरण-वितरण अधिकारी, नियोजन सचिव शाखा, के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(रू० लाख में)

क्र०सं०	कोड नं०	मद का नाम	धनराशि
1	2	3	4
1	01	वेतन	210.00
2	03	मंहगाई भत्ता	136.50
3	04	यात्रा व्यय	2.00
4	05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.00
5	06	अन्य भत्ते	10.00
6	07	मानदेय	5.00
7	08	कार्यालय व्यय	10.00
8	11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5.50
9	12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.50
10	13	टेलीफोन पर व्यय	1.60
11	15	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	65.00
12	42	अन्य व्यय	5.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13	46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10.00
14	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5.50
15	49	चिकित्सा व्यय	8.00
16	55	मकान किराया भत्ता	10.00
17	58	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	65.00
योग			559.60

(रुपए पाँच करोड़ उनसठ लाख साठ हजार मात्र)

2. उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्राविधानों के अधीन निर्गत की जायेगी :-

(1) विभिन्न मदो के अंतर्गत बजट में प्राविधानितं धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्डस आफ फाइनेंनसियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(3) उक्त धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखा जाना मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल व्यय/भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिए गए निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(6) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जाय।

(7) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार किया जायेगा और जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी प्राप्त की जायेगी। स्थानान्तरण यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, टेलीफोन पर व्यय तथा गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद पर व्यय मितव्ययता संबंधी आदेशों के अनुसार किया जाए तथा उन मर्दों में आवंटित धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय। उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव

संख्या- 88/2026/32 ई०पी०सी०(1)/35-1-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, लखनऊ/प्रयागराज ।
3. वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, उ०प्र०, प्रयागराज ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, नियोजन सचिव शाखा, उत्तर प्रदेश शासन ।
6. मुख्य अभियंता, तकनीकी सेल, ई०पी०सी० मिशन, नियोजन विभाग।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ०प्र० सचिवालय ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश सचिवालय ।
9. अनुभाग अधिकारी, नियोजन (लेखा) अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय ।
10. गार्डफाइल ।

आज्ञा सें,
(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।